प्रथम कार्यकारी परिषद की दिनांक 08 अगस्त, 2008 शुक्रवार को आयोजित प्रथम बैठक के कार्यवृत्त

सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रथम कार्यकारी परिषद की पहली बैठक दिनांक 8 अगस्त 2008 (शुक्रवार) को होटल "दी रॉयल प्लाज" गंगटोक में आयोजित की गई । इसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1.	प्रो0 महेंद्र पी लामा उपकुलपति	: पदेन अध्यक्ष
2.	प्रो0 मृणाल मिरी पूर्व कुलपति, एन ई एच यू	: सदस्य
3.	श्री एम पी बेजबरूआ पूर्व सचिव, भारत सरकार	: सदस्य
4.	प्रो0 गौतम बरूआ निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी	: सदस्य
5.	डॉ0 एम आनंदकृष्णन अध्यक्ष, आई आई टी, कानपुर	: सदस्य
6.	डॉ0 शिवराज सिंह प्रोफेसर एवं मुख्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान संस्थान	: सदस्य
7.	श्री नावांग गोम्बु पूर्व निदेशक हिमालय पर्वतारोही संस्थान (एच एम आई) दार्जीलिंग	: सदस्य
8.	डॉ0 एस यू सूर्यवंशी पूर्व उपकुलपति स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वनान्देद (महाराष्ट्र)	: सदस्य
9.	श्री सेग्याल ताशी, निदेशक (तकनीकी शिक्षा) प्रति सचिव (शिक्षा)	: सदस्य

प्रो0 ई हस्नैन, उपकुलपति हैदराबाद विश्वविद्यालय एवं प्रो0 मधुर स्वामीनाथन अर्थशास्त्री, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता ने इस बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की ।

आरंभ में उपकुलपति ने सम्मानित सदस्यों का सिक्किम विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक बैठक में स्वागत किया। उन्होंने कार्यकारी परिषद के सभी सदसयों का एक दूसरे तथा विश्वविद्यालय दल का कार्यकारी परिषद से परिचय करावाया । उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा विगत बाहर महीने में, जुलाई 2007 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक की गई प्रगति पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया । सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की गई विशाल प्रगति के लिए उपकुलपति को बधाई दिया तथा सदस्यगण विश्वविद्यालय के लिए तय किए उद्देश्यों एवं मिशन से प्रभावित हुए । सदसयों ने उपकुलपति से अनुरोध किया कि कार्यकारी परिषद की बैठक के कार्य-व्यापार को आरंभ किए जाने के पूर्व इस प्रकार का प्रस्तुतीकरण प्रत्येक बार दी जाए ।

कार्यसूची पर चर्चा आरंभ किए जाने के पूर्व, परिषद ने कृतज्ञता व्यक्त की एवं विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, स्व0 प्रो0 अशेष प्रसाद मित्रा, एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, सी एस आई आर के सहयोजन मार्गदर्शन एवं अवदानों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनका 3 सितंबर 2007 को निधन हो गया था । प्रो0 मित्रा के दुखद एवं असामयिक निधन पर दुख एवं शोक संवेदना संवाद पढ़ा हुआ माना गया एवं संकल्प किया गया इसे पीड़ित परिवार भेज दिया जाएगा ।

तत्पश्चात कार्यसूची मदों पर चर्चा आरंभ की गई ।

ई सी :01:01 वित्त समिति के प्रति नामांकन पर विचार किया जाना ।

कार्यकारी परिषद द्वारा नोट किया गया कि सिक्किम विश्वविद्यालय, अधिनियम 2006 की सांविधि की धारा 17(1) के अनुसार, वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. उपकुलपति
2. प्रो उपकुलपति
3. न्यायालय द्वारा नामित एक व्यक्ति
4. तीन व्यक्तियों का नामांकन कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाएगा, जिनमें कम से कम एक कार्यकारी परिषद का सदस्य होगा, एवं
5. विजिटर द्वारा नामित तीन व्यक्तिगण

विस्तारपूर्वक चर्चा के बाद परिषद द्वारा श्री एम बी बरूआ को वित्त समिति के एक सदस्य के रूप में कार्यकारी परिषद का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया । परिषद में अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित नामों पर विचार किया गया तथा श्री एम टी दोर्जी, अवर मुख्या सचिव एवं प्रधान सचिव (वित्त) सिक्किम सरकार एवं श्री अर्जुन स्यांगदेन पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम बंगाल सरकार को भी उद्धृत प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम वित्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया ।

ई सी :01:02 वर्ष 2008-09 के वार्षिक बजट पर विचार किया जाना

परिषद द्वारा नोट किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान तीन किश्तों में रू0 13 करोड़ की राशि यू जी सी से प्राप्त की गई है, तथा यह अपने आंरभ काल से ही अपने कार्य व्यापार का प्रबंधन अनुदान से कर रहा है । परिषद ने यह भी नोट किया कि 11 वीं योजना प्रस्ताव में रू0 632.54 करोड़ तक की राशि यू जी सी के प्रति मार्च ; 2008 (संशोधित मई 2008) के महीने में प्रस्तुत की गई है तथा यू जी सी से आवंटन अपेक्षित है ।

परिषद ने वर्ष 2008-09 हेतु वार्षिक बजट पर विचार विमर्श किया तथा इसका अनुमोदन किया । यद्यपि, यह सलाह दी गई कि बजट को पुर्नगठित किया जाए तथा कैंपस विकास हेतु पूंजी व्यय के अंतर्गत एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अधिक आवंटन हेतु प्रावधान रखा जाए ।

इस सलाह को समाविष्ट करते हुए बजट के बाद की तारीख में प्रेषित किया जाएगा ।

ई सी :01:03 सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति पर विचार करना ।

परिषद ने नोट किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के खंड 46(ए) में निहित पारक्रम्य प्रावधानों के अनुसार, प्रो0 अशेष प्रसाद मित्रा, एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, सी एस आई आर की प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्ति विजिटर द्वारा पांच वर्षों की अवधि के लिए की गई थी । दुर्भाग्यवश , प्रो0 मित्रा का 3 सितंबर 2007 को निधन हो गया तथा तब से यह पद रिक्त पड़ा है ।

परिषद ने यह भी नोट किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची के खंड (1) के अनुसार कुलपति की नियुक्ति विजिटर द्वारा कार्यकारी परिषद द्वारा देश के शैक्षाणिक एवं लोक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों में से अनुशंसित कम से कम तीन व्यक्तियों के एक पैनल से की जाएगी ।

उपरोकत प्रावधान को दृष्टि में रखते हुए परिषद ने अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रतिष्ठित विद्वानों के जीवन वृत्त पर विचार किया:

1. प्रो0 मुचकुंद दुबे, प्रेसिडेंट, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली एवं अध्यक्ष, ऐसियाई विकास अनुसंधान संस्थान, पटना ।
2. डॉ0 कपिला वात्सयायन, एम पी(राज्य सभा) तथा सुविख्यात शिक्षाविद् एवं लेखक
3. प्रो एम एस स्वामीनाथन, उल्लेखनीय वैज्ञानिक एवं एम पी (राज्य सभा)

विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि यथा प्रस्तावित तीन नामों के पैनल को इसी क्रम में बनाया जाए तथा विजिटर द्वारा कुलपति के चयन हेतु इनके जीवन वृत्त के साथ साथ एम एच आर डी को पृष्ठांकित किया जाए ।

ई सी :01:04 शिक्षण पदों के निर्माण पर विचार किया जाना ।

परिषद ने सत्र 2008-09 से लागू होकर निम्नलिखित केंद्रों/स्कूलों में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया:

- समाजशास्त्र (सामाजिक विज्ञान स्कूल)
- अंतरराष्ट्रीय राजनीति/संबंध (वैश्विक अध्ययन स्कूल)
- शांति, संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन (शाति, संघर्ष एवं मानव सुरक्षा अध्ययन स्कूल)
- माइक्रो जीव विज्ञान (जीव वैज्ञानिक स्कूल)

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के समीप निजी भवन को किराए पर लिया गया है तथा संविदाजन्य/ प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए शिक्षण पदों को विज्ञापित किया गया है ।

विस्तारपूर्वक चर्चा के बाद एवं विभिन्न स्तरों पर गुणता शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर विचार कर के, साथ ही सत्र 2009-10 से लागू हो कर एम.फिल एवं पी एच डी स्तर पर अनुसंधान कार्यक्रमों को आरंभ करने में विश्वविद्यालय को समर्थित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित शिक्षक पदों का निर्माण शिक्षण कार्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालन हेतु किया जाए:

:

केंद्र/विभाग	**पदों का नाम**	**पदों की संख्या**
सामाजिक प्रणाली एवं एन्थ्रोपोलॉजी	प्रोफेसर	01
	एसोसिएट प्रोफेसर	02
	सहायक प्रोफेसर	04
अंतराष्ट्रीय राजनीति /संबंध	प्रोफेसर	01
	एसोसिएट प्रोफेसर	02
	सहायक प्रोफेसर	04
शांति, संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन	प्रोफेसर	01
	एसोसिएट प्रोफेसर	02
	सहायक प्रोफेसर	04
माइक्रोबायोलॉजी	प्रोफेसर	01
	एसोसिएट प्रोफेसर	02
	सहायक प्रोफेसर	04
	कुल	**28**

यद्यपि परिषद ने सुझाव दिया कि स्कूलों एवं केंद्रों के निर्माण में सर्वाधिक ध्यान रखा जाए । यह भी सुझाव दिया गया कि इन स्कूलों एवं केंद्रों के अंतर्मेलन की संभावना भी ढूंढी जाए तथा कोर संकाय की नियुक्ति की जाए ।

परिषद ने आगे सुझाव दिया कि अनुलग्नक 2 पर यथा प्रस्तावित स्कूल एवं केंद्र पर शैक्षणिक परिषद में विस्तार से

विचार-विमर्श किया जाए ताकि दीर्घकालिक नीति निर्णय विकसित हो सके तथा इसे कार्यकारी परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए ।

ई सी :01:05 गैर शिक्षण पदों के निर्माण पर विचार किया जाना ।

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय सिक्किम सरकार, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सदृश संस्थानों एवं संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर 18 की संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारीगण साथ ही नियत मानदेय के साथ संविदा आधार पर नियुक्त द्वारा संचालित हो रहा है ।

परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा पी जी स्तर पर शिक्षण कार्यक्रम को आरंभ करने तथा पुस्तकालय स्थापित करने में उठाए गए कदमों की सराहना की । परिषद ने अंडर ग्रेजुएट एवं पीजी स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली आरंभ किए जाने की भी सराहना की ।

विश्वविद्यालय प्रशासन के सुचारू संचालन हेतु गैर संकाय पदों का निर्माण करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए साथ ही दिसंबर 2008 में प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के संचालन के लिए, परिषद ने निम्नलिखित पदों के निर्माण पर विचार किया :

क्रम सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	नियुक्ति की तरीका
1.	उप रजिस्ट्रार	रू012000-420-18300/-	01	सीधी /प्रतिनियुक्ति
2.	उप पुस्तकालाध्यक्ष	-वही-	01	वही
3.	सहा. रजिस्ट्रार (ईवैल)	रू08000-275-13500/-	01	वही
4.	सहा. रजिस्ट्रार (वित्त)	-वही-	01	वही
5.	बाह्य संपर्क अधिकारी	-वही-	01	वही
6.	उपकुलपति का पी एस	रू06500-200-10500/-	01	वही
7.	उपकुलपति का पी ए	रू04000-100-6000/-	01	वही
8.	रजिस्ट्रार का वरि. पी ए	रू05000-150-8000/-	01	वही
9.	एफ ओ का वरि. पी ए	-वही-	01	वही
10.	समन्वयकर्ता का वरि. पी ए (मूल्यांकन)	-वही-	01	वही
11.	केंद्र अध्यक्षों का पी ए	रू04000-100-6000/-	04	वही
12.	प्रयोगशाला सहायक	रू04000-100-6000/-	02	वही
13.	कनि. व्यवसायिक सहा. (पुस्तकालय)	रू05000-150-8000/-	02	वही
14.	पुस्तकालय समर्थन	रू03050-75-3950-80-4590/-	02	वही

15.	यू डी सी (प्रशा.)	रू04000-100-6000/-	01	वही
16.	यू डी सी (मूल्यांकन)	-वही-	04	वही
17.	यू डी सी (वित्त)	-वही-	01	वही
18.	यू डी सी (शैक्षाणिक)	-वही-	01	वही
19.	फ्रान्ट अधि. (कार्यकारी)/स्वागतपाल	-वही-	01	वही
20.	अनु. अधि (मूल्यांकन)	रू06500-200-10500/-	01	वही
21.	अनु. अधि (प्रशा.)	-वही-	01	वही
22.	अनु. अधिकारी (शैक्षणिक)	-वही-	01	वही
23.	ड्राइवर (वी सी/रजि./एफ ओ/सी ओ ई)	रू03050-75-3950-80-4590/-	04	वही
24.	वी सी के बंग्लों हेतु कूक	रू03050-75-3950-80-4590/-	01	वही
25.	कार्यालय सहायक (वी सी/रजि./एफ ओ/केंद्र/पुस्तकालय/प्रशा/मूल्यांकन)	रू02550-55-2600-60-3200/-	07	वही
26.	वी सी के बंग्लो हेतु माली	-वही-	01	वही
27.	वी सी के बंग्लो हेतु सहा.	-वही-	01	वही
		कुल	**45**	

यद्यपि निर्माण किए जाने वाले पदों की संख्या यू जी सी द्वारा संकाय गैर सरकारी पदों के अनुमोदित अनुपात से अधिक होने के बावजूद भी परिषद ने विश्वविद्यालय की स्थापना के आरंभिक चरण में गैर संकाय पदों की अधिक संख्या की वांछनीयता को उचित ठहराया तथा उपरोक्तानुसार 45 की संख्या में गैर संकाय पदों के निर्माण का अनुमोदन किया । यद्यपि, परिषद ने सुझाव दिया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में पदों का निर्माण करते समय संकाय-गैर संकाय अनुपात का कड़ाई के साथ अनुसरण किया जाए । परिषद ने यह भी सुझाव दिया कि समर्थक कर्मचारियों का उचित पदनाम दिया जाए जैसा कि अन्य विश्वविद्यालयों / भारत सरकार में विद्यमान है।

ई सी:01:06 11वीं योजना अवधि के दौरान चालू किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक पदों के निर्माण पर विचार करना ।

परिषद ने नोट किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय तीन विभिन्न एवं अंतर्शास्त्रीय शैक्षणिक कार्यक्रमों का आने वाले दिनों में संचालन करेगा । जिसमें पारंपरिक, गैर-पारंपरिक कार्यक्रम एवं नीति अध्ययन कार्यक्रम सम्मिलित होंगे । इसमें विश्वविद्यालय की सत्र 2009-10 से आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों की सूची से प्राथमिक के आधार पर चयनित निम्नलिखित स्कूल /केंद्रों को आरंभ करने की भी इच्छा भी नोट किया।

I. पारम्परिक कार्यक्रम

यह मुख्यधारा के पाठ्यक्रम है, जिसे भारत एवं विदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है । इसमें मौलिक अनुसंधान का तीव्र पूट भी शामिल होगा । प्रत्येक स्कूल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मांग के आधार पर 3-9 केंद्र विभाग भी होंगे । विभिन्न स्कूलों में अवस्थित इन केंद्रों में मास्टर एवं एकीकृत एम फिल/ पी एच डी कार्यक्रमों दोनों को लागू किया जाएगा ।

1. सामाजिक विज्ञान स्कूल

(i) सामाजिक प्रणाली एवं एन्थ्रोपोलॉजी हेतु केंद्र (एम ए)
(ii) शिक्षा आयोजना एवं विकास हेतु केंद्र (एम ए)
(iii) मनोविज्ञान अध्ययनों के लिए केंद्र (एम एस सी)

2. वैश्विक अध्ययन स्कूल

(i) पड़ोसी क्षेत्र अध्ययन हेतु केंद्र : बांग्लादेश, भुटान, चीन, तिब्बत, म्यनमार, नेपाल, थाइलैंड सहित केंद्रीय एशिया (एम ए)

3. कानून एवं शासन स्कूल

(i) मानवाधिकार अध्ययन हेतु केंद्र (एम ए)
(ii) पर्यावरण एवं जैव विविधता कानून हेतु केंद्र (एम एस सी)

4. भाषा विज्ञान एवं भाषाओं का स्कूल
(i) एशियाई भाषाओं हेतु केंद्र : जापानी, चीनी (एकीकृत बी बी ए एवं एम बी ए - पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)

5. प्रबंधन स्कूल

(i) व्यवसायिक प्रशासन हेतु केंद्र (एकीकृत बी बी ए एवं एम बी ए - पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)

6. मीडिया, संचार एवं सूचना विज्ञान स्कूल
(i) पत्रकारिता हेतु केंद्र (एम ए)

7. कंप्यूटर विज्ञान स्कूल

(i) मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन्स (एकीकृत बी सी ए एवं एम सी ए - पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)

8. पर्यावरणजन्य अध्ययन स्कूल

(i) पर्यावरण विज्ञान हेतु केंद्र (एम सी सी)

9. जैव प्रौद्योगिकी स्कूल

(i) जैव प्रौद्योगिकी (एकीकृत बी एस सी एवं एम एस सी - पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (एम एस सी)

10. जीवविज्ञान स्कूल

(i) पादप विज्ञान (एम एस सी)

11. भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान स्कूल

(i) भौतिक विज्ञान हेतु केंद्र (एम एस सी)

12. प्लानिंग, आर्किटेक्चर एवं इंजीनियरिंग स्कूल

(i) शहरी प्रादेशिक एवं पर्यावरणिक आयोजना (एकीकृत बी प्लान एवं एम प्लान - पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)

13. औषधि स्कूल

(i) फार्मेसी अध्ययन हेतु केंद्र (एकीकृत बी फार्मा एवं एम फार्मा - पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)

II. गैर पारम्परिक कार्यक्रम

ये कार्यक्रम स्वाभाव में गैर-पारम्परिक हैं । इसका अर्थ यह भी है कि इन पाठ्यक्रमों को सामान्यत: भरत एवं विदेश दोनों के विश्वविद्यालयों में पूर्णरूपेण शास्त्र के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है । इन कार्यक्रमों में अधिकांशत: स्कील अभिमुखित शास्त्र, व्यवसायिक अध्ययन एवं विशेषीकृत पाठ्यक्रम संलग्न होते हैं, जिनका वैश्विक संदर्श तथा प्रादेशिक एवं स्थानिक संदर्भ होता है ।

14. देशज एवं लोक अध्ययन स्कूल

(i) खाद्य एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पोषण प्रबंधन (एम एस सी)
(ii) हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, डिजाइन एवं फैशन प्रौद्योगिकी (एम ए)
(iii) लोक संगीत/थिएटर्स / साहित्य (एम ए)

15. धारणीय विकास एवं भरण पोषण प्रबंधन स्कूल

(i) ऊर्जा अध्ययन हेतु केंद्र (एम एस सी)
(ii) धारणीय पहाड़ विकास हेतु केंद्र (एम एस सी)
(iii) पर्यटन विकास एवं प्रबंधन हेतु केंद्र (एम ए)
(iv) फ्लोरीकल्चर एवं हार्टीकल्चर प्रबंधन हेतु केंद्र (एम एस सी)

16. शांति, संघर्ष एवं मानव सुरक्षा अध्ययन हेतु केंद्र

(i) मिलीट्री साइंस एवं रक्षा अध्ययन हेतु केंद्र (एम एस सी)

(ii) आपदा निरोध एवं प्रबंधन हेतु केंद्र (एम एस सी)

(iii) शांति, संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन हेतु केंद्र (एम ए)

///. नीति अध्ययन कार्यक्रम

17. नीति आयोजना एवं अध्ययन हेतु केंद्र

शैक्षणिक कार्यक्रमों का एक प्रमुख अंश नीति अनुसंधान के प्रति समर्पित होगा, जिससे राष्ट्रीय हित के बृहत्तर मुद्दों का समाधान होगा तथा यह लोग कार्य व्यवहार, राष्ट्रीय सुरक्षा, भरण पोषण एवं देशज नागरिक, सीमान्तर, अंतर्प्रतिक्रियाएं, आपदा प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र सहित प्रादेशिक एवं स्थानीय मुद्दों के प्रबंधन से प्रत्यक्षत: संगत होगा।

विश्वविद्यालय भारत एवं विदेश में कई संस्थानों के साथ इन कार्यक्रमों के विकास एवं संकाय वांछनीयता के संभावित संसाधनों की पहचान दोनों में पहले ही संपर्क कर रहा है।

विश्व विद्यालय की 25 शिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रमों को आरंभ करने की इच्छा की प्रशंसा करते हुए, परिषद ने पाया कि इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ आरंभ करना संभव नहीं होगा । अतः यह सुझाव दिया गया की आवश्यकताओं को अगले 3 वर्षों में विभिन्न चरणों में विभक्त किया जाए । पाठ्यक्रमों एवं संरचनाओं पर शैक्षणिक परिषद में चर्चा की जा सकती है तथा इस पर ठोस अनुशंसाओं को कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा जा सकता है । संकाय पदों के निर्माण के दौरान यूजीसी द्वारा यथा प्रस्तावित छात्र-शिक्षक के 1:10 के अनुपात पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इन नियुक्तियों के साथ परिषद ने निम्नलिखित संकाय एवं गैर संकाय पदों के निर्माण की आवश्यकता पर विचार किया :

I. शिक्षण पदें

स्कुल का नाम	केंद्र/विभाग	पदों के नाम	पदों की संख्या
सामाजिक विज्ञान स्कूल	सामाजिक प्रणाली एवं एन्थ्रोपोलॉजी	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
	शिक्षा आयोजना एवं विकास (एम ए)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
वैश्विक अध्ययन स्कूल	पड़ोसी क्षेत्र अध्ययन: बांग्लादेश, भुटान, चीन, एवं तिब्बत, म्यनमार, नेपाल, थाइलैंड सहित केंद्रिया एशिया (एम ए)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
कानून एवं शासन स्कूल	मानवाधिकार अध्ययन (एम ए)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
	पर्यावरण एवं जैवविविधता कानून (	प्रोफेसर	01

	एम एस सी)	एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
भाषा विज्ञान एवं भाषाएं स्कूल	एशियाई भाषाएं: जापानी, एवं चीनी (एकीकृत बी ए एवं एम ए पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	03
		सहायक प्रोफेसर	06
प्रबंधन स्कूल	व्यवसाय प्रशासन (एकीकृत बी बी ए एवं एम बी ए - पांच वर्षीय पाठ्यक्रम)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	03
		सहायक प्रोफेसर	06
मिडिया संचार एवं सूचना विज्ञान स्कूल	पत्रकारिता (एम ए)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
कंप्यूटर विज्ञान स्कूल	मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन्स (एकीकृत बी सी ए एवं एम सी ए - पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	03
		सहायक प्रोफेसर	06
पर्यावरिणक अध्ययन स्कूल	पर्यावरण विज्ञान (एम एस सी)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
जैव प्रौद्योगिकी स्कूल	जैव प्रौद्योगिकी (एकीकृत बी एस सी एवं एम एस सी - पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	03
		सहायक प्रोफेसर	06
जीव विज्ञान स्कूल	पादप विज्ञान (एम एस सी)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
भौतिक एवं रसायनिक विज्ञान स्कूल	भौतिक विज्ञान (एम एस सी)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
प्लानिंग , आर्किटेक्चर एवं इंजीनियरिंग स्कूल	शहरी प्रादेशिक एवं पर्यावरणिक आयोजना (एकीकृत बी प्लान एवं एम प्लान - पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	03
		सहायक प्रोफेसर	06
औषधी स्कूल	फार्मेसी अध्ययन हेतु केंद्र (एकीकृत बी फार्मा एवं एम फार्मा - पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	03
		सहायक प्रोफेसर	06
देशज एवं लोक अध्ययन स्कूल	खाद्य एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पोषण प्रबंधन (एम एस सी)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04

	हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, डिजाइन एवं फैशन प्रौद्योगिकी (एम ए)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
	लोक संगीत/थिएटर्स / साहित्य (एम ए)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
धारणीय विकास एवं भरण पोषण प्रबंधन स्कूल	ऊर्जा अध्ययन हेतु केंद्र (एम एस सी)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
	धारणीय पहाड़ विकास हेतु केंद्र (एम एस सी)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
	पर्यटन विकास एवं प्रबंधन हेतु केंद्र (एम ए)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
	फ्लोरीकल्चर एवं हार्टीकल्चर प्रबंधन हेतु केंद्र (एम एस सी)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
शांति, संघर्ष एवं मानव सुरक्षा अध्ययन स्कूल	मिलीट्री साइंस एवं रक्षा अध्ययन हेतु केंद्र (एम एस सी)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
	आपदा निरोध एवं प्रबंधन हेतु केंद्र (एम एस सी)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
	शांति, संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन हेतु केंद्र (एम ए)	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	02
		सहायक प्रोफेसर	04
नीति आयोजना एवं अध्ययन स्कूल		प्रोफेसर	02
		एसोसिएट प्रोफेसर	04
		सहायक प्रोफेसर	08
	कुल		207

उल्लेखित संकाय पदों के अतिरिक्त अनुसंधान एसोसिएट्स एवं अनुसंधान सहायकों की नियुक्ति यथा वांछनीयता पर की जाएगी ।

II. गैर शिक्षण पदें

क्रम सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	नियुक्ति की तरीका
1.	उप रजिस्ट्रार (मूल्यांकन)	रू012000-420-18300/-	01	सीधी /प्रतिनियुक्ति
2.	उप रजिस्ट्रार (शैक्षणिक)	वही	01	वही

3.	सहा. रजिस्ट्रार (मूल्यांकन)	रू08000-275-13500/-	02	वही
4.	सहा. पुस्तकालाध्यक्ष	-वही-	01	वही
5.	स्कूलों के लिए लेखा अधिकारी	रू06500-10500/-	17	वही
6.	डीनों के लिए पी ए	रू05000-150-8000/-	17	वही
7.	केंद्रीय अध्यक्षों के लिए पीए	रू04000-100-6000/-	27	वही
8.	प्रयोगशाला सहायक	रू04000-100-6000/-	10	वही
9.	कनिष्ठ व्यवसायिक सहायक (पुस्तकालय)	रू05000-150-8000/-	02	वही
10.	पुस्तकालय समर्थन	रू03050-75-3950-80-4590/-	03	वही
11.	सहायक (प्रशा.)	रू05000-8000/-	04	वही
12.	सहायक (मूल्यांकन)	-वही-	06	वही
13.	सहायक (वित्त)	-वही-	04	वही
14.	सहायक (शैक्षणिक)	-वही-	04	वही
15.	कनि. सहायक (प्रशा.)	रू04000-100-6000/-	04	वही
16.	कनि. सहायक (मूल्यांकन)	-वही-	06	वही
17.	कनि. सहायक (वित्त)	-वही-	04	वही
18.	कनि. सहायक (शैक्षणिक)	-वही-	04	वही
19.	अनु. अधिकारी (मूल्यांकन)	रू06500-200-10500/-	03	वही
20.	अनु. अधिकारी (प्रशा.)	-वही-	03	वही
21.	अनु. अधिकारी (शैक्षणिक)	-वही-	02	वही
22.	केंद्रो एवं स्कूलों के लिए कार्यालय सहायक	रू02550-55-2600-60-3200/-	07	वही
23.	माली	रू02550-55-2600-60-3200/-	05	वही
24.	अतिथिगृह देखभालकर्ता	रू04000-100-6000/-	01	वही
25.	संपदा अधिकारी	रू08000-275-13500/-	01	वही
26.	संपदा कार्यालय में अनु. अधिकारी	रू06500-200-10500/-	01	वही
27.	संपदा कार्यालय में सहायक	रू05000-8000/-	01	वही
28.	संपदा कार्यालय में कनि. सहायक	रू04000-100-6000/-	02	वही
29.	उप रजिस्ट्रार (भंडार एवं क्रय)	रू012000-420-18300/-	01	वही
30.	अनुभाग अधिकारी (भंडार एवं क्रय)	रू06500-200-	02	वही

		10500/-		
31.	**स्टोर कीपर**	**रू05000-8000/-**	**01**	**वही**
32.	**कनि0 स्टोर कीपर**	**रू04000-6000/-**	**02**	**वही**
33.	**उप रजिस्ट्रार (लेखा परीक्षा एवं बजट)**	**रू0 12200-420-18300/-**	**01**	**वही**
34.	**अनु. अधिकारी (ले.प.)**	**रू06500-200-10500/-**	**01**	**वही**
35.	**अनु. अधिकारी (बजट)**	**-वही-**	**01**	**वही**
36.	**सहायक (लेखा परीक्षा)**	**रू05000-150-8000/-**	**02**	**वही**
37.	**सहायक (बजट)**	**-वही-**	**02**	**वही**
38.	**क. सहायक (लेखा परीक्षा)**	**रू04000-6000/-**	**02**	**वही**
39.	**क. सहायक (बजट)**	**-वही-**	**02**	**वही**
40.	**प्रशासनिक शाखाओं के लिए समर्थन कर्मचारी**	**रू02550-55-2600-60-3200/-**	**05**	**वही**
41.	**प्रयोगशाला समर्थन**	**रू0 3050-75-3950-80-4590/-**	**14**	**वही**
42.	**सहायक रजिस्ट्रार (एस सी /एस टी कक्ष)**	**रू08000-275-13500/-**	**01**	**वही**
43.	**अनु. अधिकारी (एस सी /एस टी कक्ष)**	**रू06500-200-10500/-**	**01**	**वही**
44.	**वरिष्ठ सहायक (एस सी /एस टी कक्ष)**	**रू05000-8000/-**	**01**	**वही**
45.	**कनिष्ठ सहायक (एस सी /एस टी कक्ष)**	**रू04000-6000/-**	**01**	**वही**
46.	**विभिन्न शाखाओं के लिए एल डी सी/कंप्यूटर ऑपरेटर**	**रू03050-75-3950-80-4590/-**	**01**	**वही**
47.	**सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा)**	**रू08000-13500/-**	**01**	**वही**
48.	**सांख्यिकी अधिकारी**	**रू06500-200-10500/-**	**01**	**वही**
49.	**सांख्यिकी सहायक**	**रू05000-8000/-**	**01**	**वही**
50.	**कंप्यूटर ऑपरेटर**	**रू03050-75-3950-80-4590/-**	**01**	**वही**
51.	**अतिथि गृह हेतु कूक**	**रू03050-75-3950-80-4590/-**	**01**	**वही**
52.	**अतिथि गृह में सहायक**	**रू02550-55-2600-60-3200/-**	**02**	**वही**
		कुल	**201**	

सृजित पदों में संकाय -गैर संकाय पदों का अनुपात 1:1.04 है, यू जी सी द्वारा निर्धारित संकाय गैर-संकाय अनुपात 1:1.2 है ।

परिषद ने 207 संकाय पदों एवं 201 गैर-संकाय ऊपर ।एवं।। में यथा उल्लेखित का 11 वीं योजना अवधि के दौरान सृजन को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया ।

ई सी :01:07 विश्वविद्यालय के लोगो, मोटो एवं ध्वज को अंगीकृत किए जाने पर विचार करना ।

परिषद ने नोट किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय ने अपने लोगो, ध्वज की डिजाइन एवं मोटो लिखे जाने के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अप्रैल 2008 के महीने में एक विज्ञापन दिया था । प्रत्येक विजेता प्रविष्टियों के लिए रुपए 25,000 के नकद पुरस्कार की घोषणा की गई थी । 283 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई है, जिन्हें गंगटोक नाम्ची, मंगन एवं गेजिंग के चार जिला मुख्यालयों में प्रदर्शित किया गया था । ऐसा सामान्य नागरिकों एवं अन्य प्रत्यक्ष पणधारकों को संलग्न करने तथा सर्वोत्तम का चुनाव करने के लिए उनकी राय जानने के लिए किया गया था । बृहत संख्या में नागरिकों ने इसमें भाग लिया तथा इन्हें श्रेणीकृत करने के लिए एंम इन प्रविष्टियों का चुनाव करने के लिए अपना मत दिया ।

परिषद ने आरंभ में ही समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जनतांत्रिक प्रक्रिया तथा यूनिवर्सिटी के सर्वोत्तम लोगो, ध्वज एवं मोटो के चयन हेतु सिक्किम राज्य के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन /रायशुमारी के लिए उपकुलपति का प्रशंसा किया । सम्मानित सदस्यगण नागरिकों द्वारा रायशुमारी के माध्यम से चयनित 10 सर्वोत्तम लोगो, ध्वज एवं मोटो को देख कर हर्षित थे तथा दूसरी राशि गिरी (कोर्री) लिली गार्डन, पी टी जैकब रोड, पी ओ थोप्पुमपेडी, कोच्चि-682005 (केरल) द्वारा डिजाइन किए गए लोगो को अंगीकृत करने का निर्णय लिया ।यद्यपि यह सलाह दी गई कि लोगो डिजाइनर को कुछेक संशोधन करने के लिए कहा जाए । संशोधित लोगो सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित की जाएगी ।

ई सी :01:08 ड्राफ्ट सांविधि, अध्यादेश, विनियमावली एवं नियमावली पर विचार ।

परिषद ने ड्राफ्ट अध्यादेश/सांविधि तथा निम्नलिखित शीर्ष/विषयों पर विनियमावली के प्रथम सेट पर विचार किया :

1. **स्नातक कला (सामान्य) पर अध्यादेश**
2. **स्नातक विज्ञान (सामान्य) पर अध्यादेश**
3. **स्नातक वाणिज्य (सामान्य) पर अध्यादेश**
4. **स्नातक कला (सम्मान) पर अध्यादेश**
5. **स्नातक विज्ञान (सम्मान) पर अध्यादेश**
6. **स्नातक वाणिज्य (सम्मान) पर अध्यादेश**
7. **स्नातक शिक्षा (बी. एड) पर अध्यादेश**
8. **स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर अध्यादेश**
9. **स्नातक विधि पर अध्यादेश**
10. **स्नातक फार्मेसी पर अध्यादेश**
11. **स्नातकोत्तर कला विज्ञान एवं वाणिज्य पर अध्यादेश**
12. **स्नातकोत्तर दर्शनशास्त्र पर अध्यादेश**
13. **डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पर अध्यादेश**
14. **शिक्षा के माध्यम पर अध्यादेश**
15. **समतुल्यता समिति पर अध्यादेश**
16. **महाविद्यालयों के अंगीकरण पर अध्यादेश**
17. **रिक्तियों की अधिसूचना पर अध्यादेश**
18. **कार्यकारी परिषद की बैठकों के संचालन पर अध्यादेश**
19. **चयन समिति पद्धतियों पर अध्यादेश**

20. स्कूलों की स्थापना पर अध्यादेश
21. केंद्रों विभागों की स्थापना पर अध्यादेश
22. स्कूलों के अध्ययन बोर्ड पर अध्यादेश
23. अध्ययन के केंद्र पर अध्यादेश
24. केंद्रों के कार्य निर्धारण पर अध्यादेश
25. दिनों की समिति पर अध्यादेश
26. छात्रों की सहायता निधि पर अध्यादेश
27. अंडरग्रेजुएट अध्ययनों के बोर्ड पर अध्यादेश
28. केंद्रों की कार्यप्रणाली पर अध्यादेश
29. डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र एवं उपाधियों के अवार्ड पर अध्यादेश
30. परीक्षाओं के संचालन पर अध्यादेश
31. सेमिनार एवं सम्मेलन आदि के लिए निधि उपभोग पर अध्यादेश
32. गैर शिक्षण कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर अध्यादेश
33. छात्रों के डीन की शक्तियों एवं कर्तव्य पर सांविधि
34. स्कूलों के डीन की शक्तियों पर सांविधि
35. रजिस्ट्रार के कार्यकाल एवं शर्तों पर संविधि
36. वित्त अधिकारी के कार्यकाल एवं शर्तों पर संविधि
37. निदेशक मूल्यांकन के कार्यकाल एवं शर्तों पर सांविधि
38. शिक्षकों के सेवा विषयों पर सांविधि
39. शिक्षकों की न्यूनतम अर्हताओं पर संविधि
40. शिक्षकों की छुट्टी नियमावली पर संविधि
41. उपकुलपति की शक्तियों एवं कर्तव्यों पर संविधि
42. उपकुलपति की सेवा शर्तों पर सांविधि
43. शैक्षणिक परिषद बैठकों के संचालन पर विनियम
44. परीक्षाओं के संचालन हेतु पर्यवेक्षी कर्मचारियों की नियुक्ति पर नियमावली
45. पुस्तकालय के उपयोग पर नियमावली

परिषद ने पाया कि अध्यादेशों की संख्या को 5 से 6 तक में कम की जा सकती है , ताकि विश्वविद्यालय को बाद में कोई प्रचलनात्मक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े । परिषद की राय थी कि विश्वविद्यालय का मिशन इसके सभी अध्यादेशों में परिलक्षित हो। जहां तक संभव हो, अध्यादेश सरल होना चाहिए तथा इसके गलत व्याख्या की संभावना नहीं होनी चाहिए। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि कई विश्वविद्यालयों में सामान्य एवं सम्मान पाठ्यक्रम को बंद कर दिया है तथा एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है । अतः परिषद ने सुझाव दिया कि उप कुलपति द्वारा एक छोटी समिति गठित की जा, जो कि सम्मान एवं सामान्य (पास) जैसे अलग पाठ्यक्रमों की आवश्यकता का मूल्यांकन करें । इन सुझावों के साथ परिषद ने उपकुलपति को अध्यादेश के अंतिम ड्राफ्ट को एम एच आर डी को पृष्ठांकित करने के लिए प्राधिकृत किया ।

इ.सी :01:09 सांविधिक निकायों, शिक्षकों एवं अधिकारियों की चयन समितियों, भवन समिति एवं विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित की जाने वाली ऐसी अन्य समितियों में बाह्य सदस्यों को बैठक भत्ता के निर्धारण पर विचार ।

परिषद ने सांविधिक निकायों, शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति हेतु चयन समितियों, भवन समिति एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली अन्य समितियों में बाह्य सदस्यों को कार्यकारी परिषद की प्रथम बैठक की तारीख से लागू होकर रुपये 2000 (दो हजार मात्र) प्रति बैठक की बैठक शुल्क के रुप में भुगतान का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

ई.सी :01:10 उपकुलपति का स्वयं के नियंत्रण अधिकारी के रूप में घोषित किया जाना ।

परिषद ने उपकुलपति को विभिन्न प्रकार के छुट्टी एवं टी ए डी ए आदि दावों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए स्वयं को नियंत्रण अधिकारी के रूप में घोषित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

ई सी :01:11 **पी जी वर्गों, अतिथिगृह, संकाय एवं गैर संकाय सदस्यों को आवास आदि के संचालन हेतु निजी भवनों को किराए पर लेने के लिए उपकुलपति /रजिस्ट्रार को प्राधिकृत किया जाना ।**

परिषद ने नोट किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थाई कैंपस हेतु भूमि और सिक्किम सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की प्रक्रियाधीन है । सिक्किम विश्वविद्यालय की करीब 300 एकड़ माप की भूमि यांग्यांग में गंगटोक से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर दिए जाने की संभावना है । संकाय भवनों, पुस्तकालय, प्रशासनिक, आवासीय भवनों आदि के निर्माण में समय लगेगा । यह भौगोलिक अवस्थान एवं राज्यों में वर्षा ऋतु के लंबे अंतराल के कारण भी अवश्यंभावी है । तब तक विश्वविद्यालय को शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन एवं संकाय तथा गैर संकाय सदस्यों को आवाजस देने के लिए भवन किराए पर लेने की जरूरत है ।

परिषद ने यह भी नोट किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने पुस्तकालय की स्थापना के लिए एक भवन के दो तल रु0 25,000 प्रतिमाह के किराए पर पहले ही ले चुका है । विश्वविद्यालय में प्रस्तावित 4 शिक्षण कार्यक्रमों के लिए कमरे, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी ,परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष, संकाय सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आवास एवं एक छोटा अतिथि गृह विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है ।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए परिषद ने उपकुलपति/ रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय के विभिन्न उद्देश्यों के लिए गंगटोक में विद्यमान बाजार दर पर निजी भवनों को किराए पर लेने के लिए प्राधिकृत किया ।

ई सी :01:12 **सिक्किम विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम /सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में पुनर्नामाकरण की अनुशंसा पर विचार करना ।**

परिषद ने सिक्किम विश्वविद्यालय के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम (सी यू एस) अथवा सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी (सी एस यू) के रूप में पुनर्नामाकरण के प्रस्ताव पर विचार किया । विस्तृत विचार विमर्श के बाद परिषद की राय थी कि वर्तमान नाम को आगे चालू रखा जाए ।

ई सी :01:13 **शिक्षण एवं गैर शिक्षक पदों पर संविदा जन्म प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति पर विचार किया जाना ।**

परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निम्नलिखित समूह "क" एवं समूह "ग" पदों पर अल्पकालिक अवधि हेतु संविदाजन्य प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन किए जाने के निर्णय की पुष्टि की:

I. संकाय पदें

- समाजशास्त्र (सामाजिक विज्ञान स्कूल) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति (वैश्विक अध्ययन) /संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन (शांति, संघर्ष एवं मानव सुरक्षा अध्ययन स्कूल) माइक्रोबायोलॉजी (जीव विज्ञान स्कूल) में प्रतिनियुक्ति पर अथवा सेवानिवृत्त व्यक्तियों को संविदा आधार पर प्रोफेसर /एसोसिएट प्रोफेसर एवं नए पोस्टग्रेजुएट में से प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा आधार पर सहायक प्रोफेसर ।

II. गैर संकाय पदें

- प्रतिनियुक्ति पर अथवा सेवानिवृत्त व्यक्तियों को संविदा आधार पर
- समन्वयकर्ता (मूल्यांकन)/ परीक्षा नियंत्रक
- पुस्तकालयाध्यक्ष /उप पुस्तकालयाध्यक्ष /सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष प्रतिनियुक्ति पर अथवा सेवानिवृत्त व्यक्तियों को संविदा आधार पर
- लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स (समूह ग)
- प्रयोगशाला तकनीशियन (समूह ग)
- सहायक कार्यकारीगण (समूह ग)

परिषद ने उपकुलपति को भारत के अंदर एवं विदेश के विश्वविद्यालयों से अल्पकालिक अवधि हेतु संकाय सदस्यों को संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत किया ।परिषद ने सुझाव दिया कि ऐसे संकाय सदस्यों को सिक्किम विश्वविद्यालय में भ्रमण हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए ।

ई. सी :01:14 **आर्किटेक्ट, भवन डिजाइनर एवं भूमि मापक विशेषज्ञों का संघ निर्माण हेतु विचार करना ।**

परिषद ने भारत के अंदर एवं विदेशों से आर्किटेक्ट, भवन डिज़ाइनर एवं भूमि मापक विशेषज्ञों का यांग्यांग स्थित विश्वविद्यालय के स्थाई स्थल पर संपूर्ण निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए एक संघ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पर विचार किया । यह नोट किया गया कि विश्वविद्यालय की एक भूकंप निरोधी, ऊर्जा प्रभावकारी एवं भिन्न योग्यता संवेदी "ग्रीन" भवन बनाने की योजना है, जिसमें सिक्किमी, ओरिएन्टल तथा ऑक्सीडेंटल डिजाइनर का सम्मिश्रण हो ।

इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई । परिषद ने सुझाव दिया कि आर्किटेक्ट, डिजाइनरों आदि के संघ के बदले में आर्किटेक्चरल फर्मों का एक पैनल राष्ट्रीय स्तर पर टेंडर विज्ञापित करके बनाया जाए । प्रतियोगी फर्म की एक निर्दिष्ट अवधि हेतु परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की जाए। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि अस्थाई कैंपस

का मास्टर प्लान किसी कार्य के आरंभ होने के पूर्व बनाया जाए, ताकि कैंपस की स्थापना सुव्यवस्थित ढंग से की जा सके ।

ई सी :01:15 **अस्थाई कैंपस के फेंसिंग कार्य पर विचार करना**

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय हेतु यांग्यांग में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ने उपकुलपति की सिक्किम के मुख्यमंत्री के साथ कई बैठकों के अनुसरण में तथा उप कुलपति द्वारा प्रस्तावित भूमि स्थल पर भ्रमणों के कारण गति पकड़ी है । विश्वविद्यालय प्रशासन आशान्वित है कि अगस्त के अंत तक अथवा सितंबर 2008 के प्रथम भाग में भूमि आवंटित हो जाएगी । आवंटन के पश्चात करीब 300 एकड़ भूमि की बाउंड्री लोहे की एंगल एवं कांटेदार तारों के द्वारा एवं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण से बचाव के लिए ईंट की दीवाल द्वारा घेरा जाना है।

परिषद ने इस सुझाव के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया की बाउंड्री वाल की डिजाइनिंग सुंदर हो ।

ई.सी :01:16 **विश्वविद्यालय के संसाधनों की अंगीभूत महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों के लिए सेमिनारों/ सम्मेलनों /संगोष्ठियों एवं लघु अनुसंधान परियोजनाओं की संचालित करने में निधि प्रदाय की हिस्सेदारी पर विचार करना।**

परिषद ने नोट किया कि राज्य में शैक्षणिक गतिविधियां बहुत अधिक नहीं है । अंगीभूत महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों की अनुसंधान एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय उन्हें सेमिनार/ सम्मेलन /संगोष्ठी क्षेत्र अंतर्प्रतिक्रियाएं एवं लोक संभाषणों के संचालन हेतु एवं संबंधित महाविद्यालयों में लघु अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय समर्थन देने की इच्छा रखता है । परिषद ने यह भी नोट किया कि इसके एक अंश के रूप में सिक्किम सरकारी महाविद्यालय के 3 विभागों को दो सेमिनारों (i) भारतीय नेपाल साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियां एवं (ii) गणित एवं इसके अनुप्रयोग में हाल की अभिवृद्धियां तथा सिक्किम में महाविद्यालयों का सांस्थानिक मूल्यांकन विषय पर चल रही लघु परियोजना हेतु वित्त प्रदान किया गया है ।

परिषद ने उपकुलपति की अंगीभूत महाविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों में अभिवृद्धि करने की चिंताओं की सराहना की तथा इस उद्देश्य के लिए रूपया 20 लाख प्रति वर्ष की राशि चिन्हित करने का अनुमोदित किया ।

ई सी :01:17 **संविदाजन्य कर्मचारियों के संबंध में पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने पर विचार करना ।**

परिषद ने निम्नलिखित संविदाजन्य कर्मचारियों के कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन की तारीख से अर्थात 8 अगस्त 2008, उनके नाम के आगे यथा उल्लेखित पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया:

नाम	पदनाम	**वर्तमान पारिश्रमिक**	**प्रस्तावित पारिश्रमिक**
श्री विमल खवाश	एसोसिएट फेलो	रू0 23000/-	रू0 25000/-
सु श्री संगीता एम रसैली	कार्यकारी (कार्यक्रम)	रू0 18000/-	रू0 20000/-
श्री ओम प्रसाद गाडे	-वही-	रू0 18000/-	रू0 20000/-

ई सी :01:18 **बाह्य मरीज के रुप में उपचार हेतु प्रतिपूर्ति के बदले में नियत चिकित्सा भत्ते के भुगतान पर विचार करना ।**

परिषद ने नोट किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारी को स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों के लिए सरकारी/निजी अस्पतालों में बाह्य मरीज के रूप में उपचार लेने के लिए भारत सरकार के चिकित्सा अनुषांगिक नियमावली के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है । यहां तक की छोटी सी राशि के प्रतिपूर्ति हेतु भी लंबी औपचारिकताओं का अनुसरण किया जाता है । तथा इसमें कई प्रशासनिक कार्य भी संलग्न होते हैं । चूंकि विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ 5 कार्यकारियों की सहायता से चलाया जा रहा है, अत: ऐसे छोटे कार्यों के लिए मुश्किल से समय मिल पाता है ।

इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई तथा निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों -नियमित एवं संविदाजन्य दोनों को रुपए 500/- प्रतिमाह का एक नियत चिकित्सा भत्ता दिनांक 1 सितंबर 2008 से लागू होकर शुद्धतम अस्थाई तौर पर बाह्य मरीज के रूप में स्वयं के उपचार हेतु प्रतिपूर्ति के बदले में भुगतान किया जाए । परिषद ने सुझाव दिया कि इसे नए कर्मचारियों नियुक्ति पत्र में प्रदर्शित किया जाए । सुझाव दिया गया कि हॉस्पिटलाइजेशन एवं रेफरल मामले में भारत सरकार की चिकित्सा अनुषांगिक नियमावली का अनुसरण किया जाए ।

ई.सी.:01:19 **विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के प्रति कार्य कार्यालयी भ्रमण पर होने की स्थिति में नियत प्रति दिवस के भुगतान पर विचार किया जाना ।**

परिषद ने नोट किया कि भारत सरकार सरकार की या.म. नियमावली के अनुसार कोई कर्मचारी भ्रमण पर दैनिक भत्ता (डी ए) के रूप में एक छोटी राशि के लिए अधिकृत होता है । कभी-कभी, यह राशि एक बार के भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है । किसी अवर्गीकृत शहर में एक सस्ते होटल आवास के लिए कम से कम रुपए 500 का भुगतान करना पड़ता है , जबकि समूह “क” के किसी अधिकारी को देय राशि रुपए 225/- से रू0 325/- मातृ की श्रृंखला में होती है ।

यह भी नोट किया गया कि सिक्किम विश्वविद्यालय मुख्यता: सिलीगुड़ी निकटतम व्यावसायिक शहर पर स्टेशनरी, उपकरण ,मौलिक सुविधाओं आदि के प्रॉपन के लिए आश्रित है । जब किसी अधिकारी ऐसे किसी कार्यवश सिलीगुड़ी कार्यालयी भ्रमण पर भेजा जाता है, वे डी ए के रूप में मात्र 84/- पानी के अधिकृत होते हैं ।

परिसद ने इस शर्त पर प्रस्ताव पर चर्चा एवं अनुमोदन किया कि उपकुलपति विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी के प्रति नियत दैनिक दिहाड़ी प्रतिनिधि के रूप में भुगतान किए जाने योग्य राशि की गणना करेगा । परिसद ने सुझाव दिया कि दैनिक दिहाड़ी की गणना करते समय उपकुलपति एवं अन्य सांविधिक अधिकारियों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए ।

ई.सी.:01:20 **पदों को पुनर्पदनामित किए जाने पर विचार करना ।**

परिषद ने निम्नलिखित पदों को पुनर्पदनामित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया ।

वर्तमान पदनाम	**प्रस्तावित पदनाम**
वाइस चांसलर	वाइस चांसलर
प्रो0 वाइस चांसलर	रेक्टर
डीन	डीन
प्रोफेसर	प्रोफेसर
रीडर	एसोसिएट प्रोफेसर
लेक्चरर	सहायक प्रोफेसर
रजिस्ट्रार	मुख्य कार्यकारी (प्रशासन)
वित्त अधिकारी	मुख्य कार्यकारी (वित्त)
परीक्षा नियंत्रक	समन्वयक (मूल्यांकन)
पुस्तकालाध्यक्ष	पुस्तकालाध्यक्ष
उप रजिस्ट्रार	उप मुख्य कार्यकारी(प्रशा./वित्त)/ उप समन्वयक (मूल्यांकन)
उप पुस्तकालाध्यक्ष	उप पुस्तकालाध्यक्ष
सहायक रजिस्ट्रार	सहायक मुख्य कार्यकारी (प्रशा./वित्त)/ सहायक समन्वयक (मूल्यांकन)
सहायक पुस्तकालाध्यक्ष	सहायक पुस्तकालाध्यक्ष

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात, इस प्रस्ताव को विलंबित करने का निर्णय लिया गया ।

ई सी :01:21 प्रथम वार्षिक रिपोर्ट ***2007-08 के अनुमोदन पर विचार करना ।***

परिषद ने विश्वविद्यालय की वर्ष 2007-08 की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, अनुलग्नक यथाप्रस्तुत पर विचार एवं अनुमोदन किया ।

इ.सी :01:22 विश्वविद्यालय के वर्ष ***2007-08 के लिए वार्षिक लेखाएं, प्राप्ति एवं भुगतान तथा तुलन-पत्र***

परिषद ने अनलुग्नक पर यथा प्रस्तुत वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक लेखाओ, जिसमें प्राप्ति एवं भुगतान तथा तुलन पत्र सम्मिलित हैं, पर विचार किया एवं इसका अनुमोदन किया ।

ई सी :01:23 स्थाई कैंपस (यांग्यांग) में अंगीभूत महाविद्यालय की स्थापना पर विचार करना ।

परिषद ने पाया कि चूंकि विश्वविद्यालय अपने स्वयं के स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम आंरभ करना चाहता है, अत: विश्वविद्यालय के अंतर्गत संघटक महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर विचार बाद में किया जा सकता है ।

ई.सी :01:24 **गंगटोक में विस्तार गतिविधियों के लिए 5 (पांच) एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर विचार करना।**

परिषद ने गंगटोक में विस्तार गतिविधियों के लिए 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा उप कुलपति को उपयुक्त जगह की पहचान करने तथा विद्यमान बाजार दर पर अधिग्रहण करने एवं एफ/ ई सी को सूचित करने के लिए प्राधिकृत किया।

ई.सी.:01:25 **एकीकृत पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए विचार करना एवं अनुमोदन प्रदान करना ।**

परिषद ने सत्र 2009-10 से लागू हो कर कुछ सत्रों में जिनमें मांग अधिक हो, एकीकृत पाठ्यक्रम आरंभ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा उपकुलपति को इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया ।

ई.सी. :01:26 **आवश्यकता के आधार पर शुद्ध रूप से संविदा पर संकाय एवं अल्पकालिक आधार पर विजिटिंग संकाय की नियुक्ति पर विचार करना ।**

परिषद ने संविदा आधार पर संकाय सदस्यों की नियुक्ति तथा उन केंद्रों पर नियमित संकाय की नियुक्ति में विलंब होने की घटना पर अल्पकालिक आधार पर भारत एवं विदेश से वरिष्ठ विजिटिंग फेलो, विजिटिंग फेलो एवं विजिटिंग एसोसिएट फेलो (एडजंक्ट) की नियुक्ति, जहां विश्वविद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र 2009-10 से आरंभ करने का प्रस्ताव है, के प्रस्ताव पर अनुमोदन करने का निर्णय लिया ।

ई.सी.:01:27 **स्थाई कैंपस में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना पर विचार।**

परिषद ने नोट किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अपने कर्मचारियों के बच्चों को गुणता शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए साथ ही उच्चतर शिक्षा हेतु गुणता उर्वर भूमि तैयार करने के लिए अपने कैंपस में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के प्रति उत्साहित करता है। इसमें विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है कि यह वांछित भूमि, खेल मैदान एवं अन्य ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। यह सिक्किम विश्वविद्यालय की योजना में सर्वथा शामिल है कि यांग्यांग स्थित कैंपस पूर्ण एवं भरा पूरा हो।

परिषद ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा उप कुलपति को यांग्यांग में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए एमएचआरडी के साथ बातचीत करने एवं वांछित भूमि, खेल मैदान एवं अन्य ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राधिकृत किया । यद्यपि परिषद ने सलाह दी की स्कूल की स्थापना एमएचआरडी की योजना "उच्चतर लर्निंग मोड" के अंतर्गत की जाए, ताकि विश्वविद्यालय का वित्तीय बोझ कम हो सके ।

ई.सी.:01:28 **यांग्यांग स्थित कैंपस में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) के एक यूनिट की स्थापना पर विचार करना।**

परिषद ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा उपकुलपति को यूनिट की स्थापना हेतु केंद्र सरकार एवं अन्य उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए संबंधित मंत्रालय के साथ पत्राचार करने के लिए प्राधिकृत किया।

ई.सी.:01:29 **भारत के अंतर्गत एवं विदेश के निजी अभिकरणों, एन जी ओ एवं अन्य संस्थानों से निधि संग्रहण की संभावना खोजने के लिए उपकुलपति को प्राधिकृत करना ।**

परिषद ने भारत के अंतर्गत एवं विदेश के निजी अभिकरणों, विकास अभिकरणों एवं प्रदाता अभिकरणों से सरकारी विकास निधिसहायता में अनुपूरक के रूप में शैक्षणिक अनुसंधान एवं अन्य गतिविधियों के लिए निधि उठाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा उपकुलपति को सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम एवं भारत सरकार की नियमावली के अधीन इसकी संभावना ढूंढने के लिए प्राधिकृत किया । यद्यपि परिषद ने सुझाव दिया कि इन अभिकरणों से दान स्वीकार करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय पर कोई व्यवसायिक हित प्रभावी ना हो सके ।

ई.सी.:01:30 **वित्त अधिकारी तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अथवा समूह ग अधिकारी रैंक से कमतर नहीं किसी अन्य पदनामित अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से सिक्किम विश्वविद्यालय बैंक अकाउंट के प्रचालन पर विचार करना ।**

परिषद ने विश्वविद्यालय के वर्तमान बैंक अकाउंट एवं भविष्य में खोले जाने वाले अकाउंट्स के वित्त अधिकारी एवं डी डी ओ अथवा समूह ग अधिकारी रैंक से कमतर नहीं किसी अन्य पदनामित अधिकारी के बीच संयुक्त रुप से प्रचालन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा उपकुलपति को उचित अधिकारियों के प्रति अपनी शक्तियों को समय समय पर प्रत्यारोपित करने के लिए प्राधिकृत किया ।

ई.सी.:01:31 **सिक्किम में अवस्थित सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों का सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ संबद्धन पर विचार एवं अनुमोदन ।**

कथित अधिनियम के खंड 6(1) एवं (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार परिषद निम्नलिखित महाविद्यालयों का सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ सत्र 2008-09 हेतु संबद्धन शुल्क प्रभावित किए बिना संबद्धन किए जाने का अनुमोदन किया :

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रस्तावित पाठ्यक्रम	अभ्युक्तियां
1	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय गंगटोक	अंडर ग्रेजुएट सम्मान एवं सामान्य पाठ्यक्रम	
2	सरकारी महाविद्यालय, नाम्ची	-वही-	
3	सरकारी महाविद्यालय, रेनोक	-वही-	
4	सरकारी महाविद्यालय, गंगटोक	एल एल बी एवं एल एल एम पाठ्यक्रम	

5	हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय, गंगटोक	बी एड एवं एम एड	निजी महाविद्यालय
6	डम्बर सिंह महाविद्यालय, गंगटोक	अंडर ग्रेजुएट सम्मान एवं सामान्य पाठ्यक्रम/ एल एल बी	-वही-
7	लॉयला शिक्षा महाविद्यालयण् नाम्ची	बी एड	-वही-
8	पैलेटिन महाविद्यालयण् पाक्योंग	अंडर ग्रेजुएट सम्मान एवं सामान्य पाठ्यक्रम	-वही-
9	हिमालियन फार्मेसी संस्थान, माझीटार	बी फर्मा एवं एम फर्मा	-वही-

यद्यपि परिषद ने नोट किया कि सिक्किम सरकार (दिनांक 1 जुलाई 2008 के पत्र संख्या 135 /सचिव /एच आर डी के तहत/ द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय से सरकारी महाविद्यालयों को संबोधित करने का अनुरोध किया गया है , क्योंकि वे प्रशासनिक एवं ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से महाविद्यालय सुधार कर पाने में पूर्णरुपेण तैयार नहीं बताए जाते हैं । चूंकि इसमें केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है, अतः मामले को एमएचआरडी को संदर्भित किया गया है एवं उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । उपकुलपति ने उल्लेख किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय संबद्धन एवं असंबद्धन दोनों के ही अनुसार अनुकूलन हेतु तैयार है , एमएचआरडी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाए ।

परिषद ने यह भी नोट किया कि निजी महाविद्यालयों ने सिक्किम विश्वविद्यालय के अधीन शैक्षणिक सत्र 2008 - 09 से विश्वविद्यालय के अधीन पूर्णरूपेण कार्य करना प्रारंभ कर दिया है ।

परिषद ने यद्यपि सलाह दिया कि संबद्धन अध्यादेश को इस प्रकार तैयार किया जाए कि (1) संबद्धन वार्षिक आधार पर दिया जाता है, ताकि गुणता शिक्षण तथा सरकारी एवं निजी दोनों महाविद्यालयों में मौलिक सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके, (2) शिक्षण की गुणता, मूल्यांकन मानदंड, उपस्थिति, शैक्षणिक अवधि, शिक्षण अनुसूची, शिक्षक प्रशिक्षण, भौतिक ढांचागत सुविधाओं की शर्त पर अध्यादेश का अनुपालन कड़ाई से एवं अनिवार्य बनाया जाए तथा इन मानदंडो एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले महाविद्यालयों को असंबद्धन हेतु प्रावधान विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट रुप से किया जाए, (3) गलत व्याख्या किए जाने के लिए कोई चित्र नहीं होना चाहिए तथा इसे शैक्षणिक परिषद के माध्यम से परिचालित किया जाना चाहिए, (4) निजी महाविद्यालयों को संबद्धन प्रदान किए जाते समय नामांकन क्षमता, प्रादेशिक असंतुलन, सामाजिक असंतुलन , आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए, एवं (5) इन सभी तथ्यों का अध्यादेश में प्रत्यक्षित होना वांछनीय है।

ई.सी.:01:32 **प्रश्न पत्र तैयार करने, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, निगरानी करने, समन्वय एवं समर्थक कर्मचारी एवं सारणीकरण कार्य हेतु पारिश्रमिक नियत करने पर विचार करना ।**

परिषद ने निम्नलिखित श्रेणी को पारिश्रमिक भुगतान के प्रस्ताव पर विचार किया तथा प्रत्येक के सामने किया यथा उल्लेखित दिसंबर 2008 की सेमेस्टर परीक्षा से इसका अनुमोदन किया ।

क्र. सं.	श्रेणी	प्रस्तावित राशि	अभ्युक्तियां
	समन्वयक (संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्यगण)	रू0 1500/- प्रति सेमेस्टर	
	प्रश्न पत्र तैयारी, निगरानी मूल्यांकन एवं सारणीकरण कार्य - अंडरग्रेजुएट परीक्षाएं	रू0 20 प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर प्रति पेपर	
	यूजी एवं पीजी परीक्षाओं हेतु सारणीकरण कार्य	रू0 10 प्रति छात्र न्यू0 200 प्रति पेपर की शर्त पर	प्रत्येक पेपर के लिए दो सारणीयक होंगें

ई.सी.:01:33 **संपुष्टि मदें ।**

(i) एक्सिस बैंक के साथ अकाउंट खोला जाना

परिषद ने एक्सिस बैंक] गंगटोक के साथ विश्वविद्यालय अकाउंट के खोले जाने एवं प्रचालन में विश्वविद्यालय प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

यद्यपि परिषद ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीयकृत बैंक में भी एक अकाउंट खोला जाए ।

(ii) श्री एस के प्रधान , अवर सचिव सिक्किम सरकार का विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति ।

परिषद ने श्री एस के प्रधान, अवर सचिव सिक्किम सरकार की विशेष कार्य अधिकारी के रुप में 1 अक्टूबर 2007 से प्रतिनियुक्ति के मानक शर्तों पर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य की देखभाल के लिए की गई नियुक्ति की संपुष्टि की ।

(iii) श्री एस गोपीनाथ, उप रजिस्ट्रार, राजीव गांधी विश्वविद्यालय(एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) ईटानगर की विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति ।

श्री एस गोपीनाथ उप रजिस्ट्रार राजीव गांधी विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) ईटानगर की विशेष कार्य अधिकारी के रूप में दिनांक 4 फरवरी 2008 से 2 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों पर की गई नियुक्ति की संपुष्टि की ।

(iv) डॉक्टर ज्योति प्रकाश तमांग, रीडर, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय गंगटोक की समन्वयक (शैक्षणिक) के रूप में नियुक्ति ।

परिषद ने डॉक्टर ज्योति प्रकाश तमांग, रीडर इन माइक्रोबायोलॉजी, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, गंगटोक की दिनांक 18 फरवरी 2008 से लागू होकर प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों पर समन्वयक (शैक्षणिक) के रूप में की गई नियुक्ति की पुष्टि की ।

(v) सुश्री शर्मिष्ठा राय, प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लिंडोक की कार्यकारी (लोक कार्यव्यवहार) के रूप में नियुक्ति ।

परिषद ने सुश्री शर्मिष्ठा राय, प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लिंडोक (सिक्किम) की दिनांक 4 मार्च 2008 से प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों पर कार्यकारी (लोक कार्यव्यवहार) के रूप में नियुक्ति की कार्रवाई की संपुष्टि की ।

(vi) संविदा के आधार पर नियुक्ति

परिषद ने निम्नलिखित व्यक्तियों की संविदा के आधार पर अल्पकालिक अवधि हेतु नियत पारिश्रमिक पर विभिन्न शैक्षणिक कार्यों की देखभाल के लिए की गई नियुक्ति की संपुष्टि की :

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पारिश्रमिक प्रति माह
श्री विमल खवाश	एसोसिएट फेलो	अगस्त 20, 2007	रू023000/-
सु श्री संगीता एम रसैली	कार्यकारी (कार्यक्रम)	नवम्बर 03, 2007	रू018000/-
श्री ओम प्रसाद गाडे	-वही-	जनवरी 29, 2008	रू018000/-

(vii)विश्वविद्यालय निधि का सावधि जमा में निवेश

परिषद ने एक्सिस बैंक के साथ सावधि जमाओं में निम्नानुसार रुपया 3.92 करोड़ की राशि के निवेश की संपुष्टि की:

क्र. सं.	लेखा/ इंस्ट्रमेंट सं.	राशि (लाख में)	जमा की अवधि		ब्याज प्रति वर्ष	परिपक्वता राशि (रू0 में)
			से	तक		
1	112010400084136	49.00	1.5.08	1.08.08	6.0	4974104.00
2	112010400084127	49.00	1.5.08	1.08.08	6.0	4974104.00
3	112010400084145	49.00	1.5.08	1.11.08	7.0	5073001.00
4	112010400084127	49.00	1.5.08	1.11.08	7.0	5073001.00
5	112010400084181	49.00	1.5.08	1.5.09	9.0	5356108.00
6	112010400084190	49.00	1.5.08	1.5.09	9.0	5356108.00
7	112010400084172	49.00	1.5.08	1.5.09	9.0	5356108.00
8	112010400084163	49.00	1.5.08	1.5.09	9.0	5356108.00
कुल		**392.00**				**41518642.00**

मद ई.सी.:01:34 रिपोर्ट की गई मदें

परिषद ने निम्नलिखित नोट किया

(i) महाविद्यालय सुधार

सिक्किम विश्वविद्यालय की स्थापना के तत्काल बाद, विश्वविद्यालय ने सिक्किम के विभिन्न महाविद्यालयों में शिक्षण एवं ढांचागत सुविधाओं की स्थिति के मूल्यांकन का कार्य आरंभ किया । इसके द्वारा शिक्षण गुणता, छात्र

उपस्थिति, मूल्यांकन प्रणाली , सफलता दर , ढांचागत सुविधाएं एवं अन्य सामाजिक आर्थिक स्थितियों सहित विस्तृत अध्ययन किया । इस मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा "सिक्किम में महाविद्यालय शिक्षा ड्राफ्ट सुधार विकास प्रस्ताव" नामक एक दस्तावेज फरवरी 2008 में प्रकाशित किया गया।

इसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं अन्य मंत्रीगण, सिक्किम सरकार के सभी विभागों के सचिव एवं विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय शिक्षक एवं छात्र सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य, पूर्व प्रशासकों ,नागरिक समाज सदस्यों, व्यवसायकों, निजी क्षेत्र, मीडिया धार्मिक संस्थानों के प्रमुख एवं एन जी ओ सहित राज्य के 400 व्यक्तियों के बीच परिचालित किया गया । वृहत संख्या में नागरिकों ने अपने मूल्यवान एवं उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं, टिप्पणियां एवं सुझाव दिए । यद्यपि उनमें से अधिकांश ने यह भी माना कि महाविद्यालयों की स्थिति वास्तविक रुप से दीन-हीन है ।

इस रिपोर्ट में कई उद्घाटन हुए । उदाहरणस्वरूप, महाविद्यालयों में नामांकन हेतु न्यूनतम प्रतिशतता 2007 तक 33 रखी गई थी । इसके परिणामवश 10 छात्रों की संख्या अधिकतम धारण क्षमता से कहीं अधिक होती थी, विशेषकर सिक्किम सरकारी महाविद्यालय गंगटोक में 1 वर्ग उन्हीं संकाय सदस्यों द्वारा प्रायः कई पारियों में चलाए जाते थे , जिन्हें कुछ अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया जाता था । ऐसी परिस्थितियों में नामांकित छात्रों की संख्या निर्धारित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था एवं गुणता, छात्रों का कार्य निष्पादन, संकाय प्रशिक्षण प्रशासनिक उत्तरदायित्व, वर्ग उपस्थिति ,ढांचागत सुविधाएं एवं पर्यवेक्षण सदृश्य प्रमुख मुद्दे परिधीय हो गए । इन सभी का दुष्प्रभाव छात्रों के अंतिम परीक्षाओं में बहुत स्पष्ट रूप से प्रलक्षित होता है ।

उदाहरणतः, यहां तक कि अंडर ग्रेजुएट पास पाठ्यक्रमों में अनुतीर्णता प्रतिशत क्रमशः आर्ट, कॉमर्स एवं साइंस में 31.4 % , 25.1 % एवं 27.4 % जैसा अधिक था । विगत 10 वर्षों में कोई भी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुआ था ।

सिक्किम विश्वविद्यालय में महाविद्यालय शिक्षा के कार्य निष्पादन को सुदृढ़ करने के लिए ठोस एवं प्रगतिशील उपायों का प्रस्ताव किया है । इनमें से निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i) नामांकन के इच्छुक हेतु वांछित अंको की न्यूनतम प्रतिशतता में 2012 तक 50% में क्रमिक वृद्धि करना
(ii) सभी कार्यक्रमों में नामांकन क्षमता निर्धारित करना
(iii) संकायों की भर्ती यू जी सी के मानदंडों का कड़ाई से अनुसरण करते हुए किया जाना।
(iv) सिक्किम के सभी महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेमेस्टर प्रणाली लागू करना इससे तीव्र शैक्षणिक अवधि का सृजन होगा तथा मूल्यांकन प्रणाली दुरुस्त होगी । सेमेस्टर प्रणाली सभी छात्रों के व्यक्तिगत कार्य निष्पादन अभिलेख का छात्रों एवं शिक्षकों के बीच का तीव्र अंतर्प्रतिक्रिया प्रविधि के माध्यम से निगरानी एवं अनुरक्षण करने में बहुत सहायक होगी।

महाविद्यालयों की शैक्षणिक अवधि

सेमेस्टर	शैक्षणिक अवधि	शिक्षण दिवस की संख्या	परीक्षा अनुसूची	परिणाम की घोषणा
मॉनसून	10 जुलाई - 10 दिसम्बर	153	1-10 दिसम्बर	30 दिसम्बर
स्प्रिंग	4 फरवरी- 31 मई	125	1-10 जून	30 जून

(v) नई प्रवृत्त सेमेस्टर प्रणाली में किसी छात्र का सेमेस्टर मध्य जांच परीक्षा, आवधिक पेपर/ फील्ड अध्ययन, लैव टेस्ट, प्रायोगिकी एवं सेमेस्टर परीक्षाओं आदि के माध्यम से सतत मूल्यांकन होगा । छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन वर्षभर होगा । निम्नलिखित सारणी में किसी एक विशिष्ट पत्र में विस्तृत मूल्यांकन पद्धति उल्लेखित है:

मूल्यांकन का पैटर्न

मूल्यांकन का पैटर्न	भार [%]
सेमेस्टर मध्य जांच	20
आवधिक पत्र/फील्ड कार्य प्रस्तुतीकरण/लैब टेस्ट/प्रयोग	25
सेमेस्टर अंत परीक्षा	50
उपस्थिति	05
कुल	**100**

(vi) 100 % वर्ग उपस्थिति हेतु 5 अंक: किसी छात्र को वर्ग व्याख्यान में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इसका अर्थ हुआ कि कोई छात्र नियमित रूप से उपस्थित रहकर अधिकतम 5 अंक प्राप्त कर सकता है।

(vii) पूर्णरुपेण आंतरिक मूल्यांकन: मध्यावधि जांच एवं सेमेस्टर अंत जांच सहित सभी आवधिक पत्रों /ट्यूटोरियल उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित पाठ्यक्रम शिक्षक द्वारा आंतरिक रुप से किया जाएगा इसका अर्थ किसी शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाना एवं उनके कार्य निष्पादन का साथ ही साथ मूल्यांकन करना भी हुआ ।

(viii) सिक्किम विश्वविद्यालय ने इसी पृष्ठभूमि में महाविद्यालय सुधार के कार्य को आरंभ किया है । इसका कुर्रीकुलम अंतर शास्त्रीय है तथा छात्रों को अंतर्शास्त्रीय विषयों का विकल्प लेने की सुविधा प्राप्त है। विश्वविद्यालय सेंट स्टीफंस, लेडी श्रीराम, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली में हिंदी कॉलेज, कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई में लोयला कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ़ मुंबई ,गुवाहाटी का कॉटन कॉलेज,

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय ,भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, कोलकाता विश्वविद्यालय, नॉर्थ बंगाल विश्वविद्यालय एवं आसाम विश्वविद्यालय सहित भारत में सर्वोत्तम महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्यगण साथ ही अन्य व्यवसायिक संस्थानों का कॉलेज कुरिकुलम निर्माण करने में साथ पाना सौभाग्य की बात है।

(ix) विश्वविद्यालय ने अब संपूर्ण कुरिकुलम प्रकाशित कर दिया है । विश्वविद्यालय में "सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की संरचना महाविद्यालयों के लिए मार्गदर्शन" विषयक छात्रों के लिए सेमेस्टर प्रणाली पर एक समग्र मार्गदर्शन भी प्रकाशित किया है ।

(x) सिक्किम विश्वविद्यालय ने आश्वस्त किया है कि यह अगले 5 से 8 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न शास्त्रों में स्थानीय विद्वानों एवं शिक्षाविद् के एक संभावित समूह को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करेगा, ताकि वे विभिन्न महाविद्यालयों एवं सिक्किम विश्वविद्यालय में इनके भिन्न भिन्न शिक्षण संकाय एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के कार्यभार ग्रहण कर सके । इन सभी पहलुओं से अर्हताप्राप्त एवं शिल्प संपन्न श्रम शक्ति एवं मानव संसाधन की राष्ट्रीय एवं वैश्विक जरूरतों की भी पूर्ति होगी ।

(xi) सिक्किम विश्वविद्यालय की योजना वर्ष 2010 से द्वितीय पीढ़ी के सुधार कार्य को करने की भी है । इसमें नए पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों, मूल्यांकन में, क्रेडिट प्रणाली भारत एवं विदेश दोनों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट महाविद्यालय संस्थानों के साथ सहभागिता विनिमय, छात्रों एवं संकाय सदस्यों दोनों को वृहद पैमाने पर क्षेत्र परिचर साथ ही वास्तविक प्रणाली माध्यम सहित आधुनिक शिक्षण तकनीकी के आगमन को लागू करना सम्मिलित होगा ।

विश्वविद्यालय दल द्वारा महाविद्यालय सुधार प्रस्तावना में किए गए विस्तृत कार्यों की सराहना करते हुए, परिषद ने विश्वविद्यालय से सभी दूरगामी उपायों एवं मानदंडो को कड़ाई से अनुपालन करने की सलाह दी । यह भी सुझाव दिया गया कि शैक्षणिक कैलेंडर में वास्तविक कार्य दिवसों का भी उल्लेख किया जाए ।

(ii) UGC के प्रति ग्राहक योजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना।

11वीं योजना प्रस्ताव तैयार किया गया था तथा (मार्च 2008 में संशोधित) महीने में रुपया 632.54 करोड़ की राशि का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया गया । यू जी सी विजिटिंग समिति का आवंटन को अंतिम रुप दिए जाने के लिए भ्रमण अपेक्षित है । इस बीच, यू जी सी को जून माह में समाजशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय संबंध /राजनीति, संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन माइक्रोबायोलॉजी एवं खाद्य विज्ञान तथा पोषण में कुछ शिक्षण पदों को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है । यू जी सी से उनकी समिति द्वारा भ्रमण किए जाने में विलंब की अवस्था में हमें यूजीसी में 11 वीं योजना प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण देने की अनुमति हेतु भी अनुरोध किया गया ।

(iii) रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी के पदों के लिए चयन समिति की बैठकें ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 12 नवंबर 2007 के आदेश संख्या एफ 36-2007 डेस्क (यू) के अनुसार सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रथम रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक चयन समिति गठित की गई थी:

1. **श्री पी आर दासगुप्ता, पूर्व शिक्षा सचिव ,भारत सरकार**
2. **श्री टी एन ठाकुर, आइ ए एवं ए एस, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भारतीय विद्युत व्यापार निगम, नई दिल्ली**

तदनुसार, राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय समाचार पत्रों साथ ही रोजगार समाचार, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली एवं यूनिवर्सिटी न्यूज़ में विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया था। इन विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में कुल मिलाकर रजिस्ट्रार के पद हेतु 44 एवं वित्त अधिकारी के पद हेतु 17 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। उपकुलपति ने इन आवेदनों की समीक्षा करने तथा न्यूनतम योग्यता के आधार पर एक संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया था । संवीक्षा के उपरांत, रजिस्ट्रार के पद हेतु 29 एवं वित्त अधिकारी के पद हेतु 9 अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची बनाई गई तथा उन्हें अंर्तवार्ता हेतु बुलाया गया था ।

उपरोक्त में से रजिस्ट्रार हेतु 22 अभ्यर्थी गन चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा एक आवेदन पत्र को उनके अनुरोध पर अनुपस्थित माना गया । अंतरवार्ता सिक्किम विश्वविद्यालय के परिसर में दिनांक 5 एवं 6 जून 2008 को आयोजित की गई तथा अनुशंसाओं को एम एच आर डी को प्रेषित किया गया । एम एच आर डी से आदेश अपेक्षित है

(iv) भूमि अधिग्रहण

वर्तमान में सिक्किम विश्वविद्यालय का संचालन गंगतोक के समीप 6ठा माइल, तादोंग में सिक्किम सरकार द्वारा आवंटित एक भवन से हो रहा है । सिक्किम विश्वविद्यालय गंगटोक से करीब 56 किलोमीटर एवं सिंगताम से 28 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण सिक्किम के यांग्यांग में अपने मुख्य कैंपस हेतु विश्वविद्यालय भूमि के मुद्दे पर अंतिम चरण पर है । उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्रफल करीब 300 एकड़ है तथा विश्वविद्यालय कैंपस के अवस्थान हेतु प्राथमिक मानदंडों को, उपलब्ध भूमि का आकार, वास्तविक रूप से पहुंच एवं भौगोलिक लक्षणों सहित पूरा करता है। पहाड़ी राज्य में कमोबेश इस प्रकार की समतल भूमि प्राप्त करना बहुत मुश्किल कार्य है। एम एच आर डी ने दयालुता पूर्वक रू0 15 करोड़ का एक विशेष अनुदान भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति के तौर पर आवंटित किया है । क्षतिपूर्ति हेतु वांछित शेष राशि राज्य सरकार द्वारा बहन किया जाएगा ।

राज्य सरकार ने अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ कर दिया है, तथा आशा है कि माह अगस्त 2008 के अंत तक यह भूमि को ग्रहण करने में सक्षम होगी ।

(v) पुस्तकालय

सिक्किम विश्वविद्यालय अपने संकाय, छात्रों एवं अन्य पणधारकों, जो विश्वविद्यालय में संलग्न होंगे, को सर्वोत्तम ढांचागत सुविधा उपलब्ध करवाने के अपने मिशन में शीघ्र ही 6ठा माइल, तादोंग में एक पुस्तकालय की स्थापना करेगा । यह पुस्तकालय इनफ्लिबनेट नामक एक नेटवर्क से संयोजित होगा, जोकि भारत एवं विदेशों से प्रकाशित होने वाले जर्नलों तक पहुंच की अनुमति प्रदान करता है । विषयों एवं शास्त्रों की श्रृंखला में पुस्तकों की विभिन्न किस्मों का प्रापन मूल्यरहित लोक पहुंच हेतु किया जा रहा है ।

पुस्तकालय की स्थापना में की गई प्रगति को नोट करते हुए, परिषद ने सुझाव दिया की स्थाई पुस्तकालय की डिजाइनिंग के लिए एक सक्षम आर्किटेक्ट की पहचान की जाएगी, क्योंकि यह विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है । परिषद ने यह भी सुझाव दिया कि पुस्तकालय स्थापित करने के लिए एक अनुभवी पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी ।

(vi) प्रथम शैक्षणिक समिति का गठन

सिक्किम विश्वविद्यालय के विजिटर होने की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम , 2006 की धारा 46 के अंतर्गत 21 सदस्यों के साथ प्रथम शैक्षणिक समिति का गठन दिनांक 16 जुलाई 2008 की अधिसूचना संख्या एफ 36-4/2008- डेस्क (यू) के तहत किया गया ।

(vii)प्रोफ़ेसर जी के चड्ढा के अध्यक्षता में वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रति रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से एक वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन, प्रोफ़ेसर जी के चड्ढा, सदस्य, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में, अन्य बातों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान का पुनरीक्षण करने के लिए किया गया । यू जी सी द्वारा यथावांछित, सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नावली भरी गई है साथ ही प्रोफ़ेसर चड्ढा के प्रति एक विस्तृत टिप्पणी, बहु अर्हता प्राप्त अनुभवी एवं व्यवसायिक रूप से प्रतिबद्ध संकाय सदस्यों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक लाभों के प्रदान किए जाने के सुझाव सहित लिखी गई । चर्चा के लिए अन्य कोई विषय नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय को एवं उनसे धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त घोषित की गई।

विशेष कार्यअधिकारी - II